न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 28/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
माधुसिह पुत्र आसुसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम चांपासर तहसील बाप जिला जोधपुर		1— रामजोत पुत्र भोपालसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम धनारीखुर्द तहसील बावडी, जिला जोधपुर 2— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 02—01—2018 जो उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 9/2017 अनवान रामजोत बनाम तहसीलदार बाप मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1—श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2—श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 6—9—2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 503 रकबा 38 बीघा, खसरा नंबर 544 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 546 रकबा 10.19 बीघा तथा खसरा नंबर 549 रकबा 7.17 बीघा भूमि आई हुई है परंतु हल्का पटवारी विवाद होने का कहकर पैमाईश करने से मना कर रहा है इसलिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाये बिना केवल तहसीलदार को पक्षकार बनाकर पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2—1—2018 को पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार बाप को पक्षकार बनाते हुए भूमि खसरा नंबर 503, 544, 546 तथा 549 की पैमाईश करने का निवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार बाप का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अपीलाधीन भूमि के सीमा संबंधी विवाद होना

बताया है तथा तहसीलदार के जवाब मे पडौसी खातेदारान को सुना जाने का अवसर दिया जाने का भी स्पष्ट उल्लेख किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिन खसरो की पत्थरगढी के आदेश दिये है, उन खसरो के सहखातेदारो एवं पडौसी खातेदारो को बिना सुने पत्थरगढी के संबंध मे आदेश पारित ही नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 अपीलाधीन भूमि कय करके सह खातेदार के रूप मे उक्त खातेदारी भूमि मे सम्मलित हुए है तथा अपीलांट के पिता आसुसिह जी भी उक्त भूमि के सहखातेदार थे वर्तमान अपीलांट उनका पुत्र है परंतु अपीलांट के पक्ष मे अभी फोतेदगी का म्युटेशन स्वीकृत नही हुआ है, इसका उल्लेख अपीलांट ने अपनी अपील के पद संख्या 4 मे उल्लेख किया है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अभी तक विधिवत बंटवाडा नही हुआ है रेस्पो0 एक अजनबी क्रेता है जबकि अपीलांट मूल खातेदार है । रेस्पो0 संख्या 1 ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप मे बंटवाडे का एक नियमित वाद पेश किया था जो निर्णित हो चुका था उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील पेश कर रखी है, जो अभी लंबित है जिसमे रेस्पो0 संख्या 1 भी पक्षकार है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि बिना निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट पाप्त किये पत्थरगढी के आदेश पारित नही किये जा सकते थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पैमाईश रिपोर्ट एवं बिना पडौसी खातेदारो को सुने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था इसलिए अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने से यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. अपील पेश करने की अनुमति के साथ यह अपील पेश की है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त 96 सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–1–2018 को निरस्त करने तथा प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप को सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर पक्षकारो की मौजुदगी मे सीमाज्ञान करवाते हुए पुनः विधिसम्मत पत्थरगढी के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि ग्राम श्यामनगर के उक्त अपीलाधीन खसरा नंबरान 503, 544, 546 व 549 कुल 4 खसरान का कुल रकबा 333. 11 बीघा है जिनमे से खसरा नंबर 549 एक बडा खसरा है जिसका रकबा 205.19 बीघा है । वकील रेस्पो संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पो0 रामजोत ने उक्त चारो खसरान मे

अलग–अलग रकबा के साथ कुल 59 बीघा भूमि खरीद की थी तथा उक्त भूमि के संबंध मे बंटवाडा के वाद के निर्णय एवं डिक्री के द्वारा रेस्पो0 के पक्ष मे म्युटेशन संख्या 37 स्वीकृत हुआ ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के जिस सहखातेदार ने रेस्पो0 रामजोत को भूमि का बेचान किया था वह खातेदार था तथा बंटवाडा दावे के द्वारा मिट्स एण्ड बाऊन्ड के द्वारा बंटवाडा डिक्री हो गई । जिसकी अपील अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी मे पेश कर रखी है, जो पेण्डिंग होना बताया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने कथन किया कि पक्षकारो के बीच प्रस्तुत दावा डिक्री हो गया जिसकी कियान्विति मात्र तहसीलदार को ही करनी थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार को ही पक्षकार बनाते हुए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिस पर पारित निर्णय विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज योग्य है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी बहस के दोरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त अपीलाधीन भूमि की पैमाईश करवाई जाकर पडौसी खातेदार को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार बाप को निर्देशित किया है तो तहसीलदार द्वारा पैमाईश रिपोर्ट तलब कर पडौसी खातेदार को सुनकर निर्णय पारित कर दिया जायेगा ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की इस अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रिबेटल बहस मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि ए.सी.ई.एम.कोर्ट से जो बंटवाडा डिक्री हुई थी उसकी अपील राजस्व अपील न्यायालय यमे पेण्डिंग है । नक्शे मे तरमीम भी नही हुई है, मौका पैमाईश रिपोर्ट नही है, ऐसी सूरत मे लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 2–1–2018 खारीज योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपीलांट माधुसिह के पिता आसुसिह उक्त अपीलाधीन भूमि का सहखातेदार दर्ज है तथा अपील के पद संख्या 4 मे किये गये उल्लेख अनुसार आसुसिह पुत्र सार्दुलसिह का देहांत हो चुका है तथा उसके हिस्से की भूमि का अभी फोतेदगी का म्युटेशन स्वीकृत नही हुआ है तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट माधुसिह पुत्र आसुसिह प्रभावित होने से अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया होने से अपीलांट ने इस न्यायालय मे धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है, ऐसे मे सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्रस्तुत प्रकरण के गुणावगुण पर अध्ययन करने पर यह प्रकट है कि वर्तमान रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128

अति. संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ कोई पैमाईश रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई थी । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार बाप को ही पक्षकार बनाया जबकि अपीलाधीन भूमि के पडौसी किसी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे तहसीलदार बाप की ओर से प्रस्तुत जवाब के पद संख्या 3 मे सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नही होना तथा सीमांकन करने संबंधी विवाद होने का उल्लेख किया था । इसी प्रकार तहसीलदार बाप ने अपने जवाब के पद संख्या 4 मे प्रार्थियां की भूमि के सीमा संबंधी विवाद होने की स्थिति मे पडौसी खातेदारो को सुना जाने का अवसर दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया था तथा जवाब के पद संख्या 5 मे अपीलाधीन खसरा नंबरान 503, 544, 546 व 549 की भूमि मे से 59 बीघा भूमि बिना किसी सीमा विवाद के सीमांकन करवाने के बाद सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी कार्य पडौसी खातेदारो की मौजुदगी मे सीमांकन कार्य एवं पत्थरगढी किया जाना तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे उल्लेख किया जाने के बावजुद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा पत्रवली एवं रेकर्ड पर नक्शा ट्रेस खसरे बंटवाडा से अलग होने पर तरमीमशुदा नक्शा उपलब्ध नही है ।राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 मे पत्थरगढी के आदेश पारित करने से पूर्व पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे निर्विवाद पैमाईश रिपोर्ट रेकर्ड पर होना आवश्यक है परंतु वर्समान मामले मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई पैमाईश रिपोर्ट रेकर्ड पर नही होने पर भी जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 2–1–2018 पारित किया है, जिसे विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–1–2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि के सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन भूमि की पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 6–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल) 6/9/18
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर